"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 553] रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर 2019 — भाद्रपद 13, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 सितम्बर 2019

क्रमांक 8946/डी. 159/21-अ/प्रारू./छ.ग./19. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 1 सन् 2019) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 1 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2019.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश ।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया ।

यतः, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें ।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह अध्यादेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क. 21 सन् 1994) को अस्थायी रुप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3, 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा ।

धारा 1 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 1 में, उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहलायेगा."

धारा 2 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"(झ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए व्यक्ति, जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय रूपये 8.00 लाख से कम है। आय में, आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष हेतु सभी स्त्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति आदि से होने वाली आय शामिल होगी।

इसके अलावा निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से किसी भी सम्पत्ति का मालिकाना हक अथवा स्वामित्व रखने वाले परिवार के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित नहीं किया जाएगा, भले ही उनकी परिवार की आय कुछ भी हो :–

(एक) 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि;

(दो) 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

(तीन) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय प्लाट;

(चार) अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय प्लाट ।

टीप– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रास्थिति (दर्जे) का निर्धारण करने के लिए भूमि अथवा सम्पत्ति के स्वामित्व का मानदण्ड लागू करते समय, "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न क्षेत्रों अथवा शहरों में धारित सम्पत्ति को जोड़ा जाएगा।

इस प्रयोजन के लिए शब्द "परिवार" में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, उसके माता–पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई–बहन और उसका/उसकी पति–पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।"

5. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उप–धारा (2) के खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:– **धारा 4 का संशोधन.**

"(एक) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर, किसी भर्ती के वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रतिशतः–

अनूसूचित जाति	–13 प्रतिशत
अनुसूचित जन जाति	–32 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	–27 प्रतिशत
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	–10 प्रतिशत"

अटल नगर, दिनांक 4 सितम्बर 2019

क्रमांक 8946/डी. 159/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का अध्यादेश दिनांक 04-09-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 1 of 2019)

THE CHHATTISGARH LOK SEVA (ANUSUCHIT JATIYON, ANUSUCHIT JAN JATIYON AUR ANYA PICHHADE VARGON KE LIYE ARAKSHAN) (SANSHODHAN) ORDINANCE, 2019.

An Ordinance to further amend the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh, in the Seventieth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Ordinance, 2019.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official gazette.

Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendment specified in Section 3, 4 and 5 of this Ordinance.

Amendment of Section 1.

3. In Section 1 of the Principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) This Act may be called the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon, Anya Pichhade Vargon Aur Arthik Roop Se Kamjor Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994."

Amendment of Section 2.

4. In Section 2 of the Principal Act, after clause (h), the following clause shall be added, namely:-

"(i) "Economically Weaker Section" means the persons who are not covered under the reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and

Other Backward Classes and whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. for the financial year prior to the year of application.

Beside it the persons whose family owns or possesses any of the following assets shall not be identified as Economically Weaker Section irrespective of the family income:-

(i) 5 acres of Agricultural Land or above;
(ii) Residential flat of 1000 sq. ft. or above;
(iii) Residential plot of 100 sq. yards or above, in notified municipalities;
(iv) Residential plot of 200 sq. yards or above, in areas other than the notified municipalities.

Note- The property held by a "family" in different locations or different places or cities would be clubbed while applying measurement of the ownership of the land or property for determining to EWS status.

The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation,

his/her father-mother and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years."

Amendment of Section 4.

5. In Section 4 of the Principal Act, for clause (i) of sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(i) at the state level, the following percentage of vacancies arising in a recruitment year in Class I, II, III and IV posts:-

Scheduled Castes	- 13 percent
Scheduled Tribes	- 32 percent
Other Backward Classes	- 27 percent
Economically Weaker Section	- 10 percent"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.